2023/107

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री अमित व्यास
एडवोकेट राज. हाईकोर्ट जयपुर
निवासी प्लॉट नं. 119 / 391, एस.एफ.एस. अग्रवाल फार्म
मानसरोवर जयपुर।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 16 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.06.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही को दिनांक 04.04.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ब्लॉक पिण्डवाडा में कुल जीएनएम (नर्सिंग ऑफिसर प्रथम, द्वितीय) में कितने स्वीकृत है एवं कितने कार्यरत है, उनकी उपस्थिति पंजिका एवं उनको दिए जाने प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान पत्र एव वे जिस संस्थान पर कार्यरत है, उस संस्थान के मूवमेन्ट रजिस्टर की सत्यापित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही को दिनांक 04.04.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ब्लॉक पिण्डवाडा में कुल जीएनएम (नर्सिंग ऑफिसर प्रथम, द्वितीय) में कितने स्वीकृत है एवं कितने कार्यरत है, उनकी उपस्थिति पंजिका एव उनको दिए जाने प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान पत्र एवं वे जिस संस्थान पर कार्यरत है, उस संस्थान के मूवमेन्ट रजिस्टर की सत्यापित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही से सम्बन्धित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:35:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner